

**कार्यालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा**

क्रमांक: सामान्य/चिकित्सा/2020/30762

दिनांक 29 मार्च, 2020

**:: आदेश ::**

भीलवाड़ा जिले में कोविड-19, नोवल कोरोना वायरस के संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से कोरोना वायरस के संक्रमण से जिले के नागरिकों के स्वास्थ्य, मानव जीवन एवं लोक शांति को खतरा होने के कारण भीलवाड़ा जिले की राजस्व सीमा (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र में भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की गयी है एवं सम्पूर्ण जिला लॉक डाउन है।

राज्य सरकार द्वारा आज्ञा क्रमांक: प.1(1)कार्मिक/क-4/2020 दिनांक 28/03/2020 से राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 05 अधिकारियों की सेवाएं जिला भीलवाड़ा हेतु सौंपी है।

राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उक्त अधिकारियों को उनके नाम के आगे अंकित अनुसार कार्यो का पर्यवेक्षण/सम्पादन कराने हेतु नियुक्त किया जाता है। इनके सहयोग हेतु उनके नाम के आगे अंकित अनुसार स्थानीय अधिकारी/कर्मचारी को लगाया जाता है -

क्र० सं०	अधिकारी का नाम एवं पदनाम	आवंटित प्रभार	सहायक अधिकारी
1.	श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर मोबाईल 98292 18555, 94145 27265	भोजन, आवश्यक वस्तुएं/सामग्री, सब्जी, फ्रूट आदि के सु-व्यवस्थित एवं समय पर वितरण की समुचित व्यवस्था एवं निर्देशानुसार अन्य कार्य	श्री अनिल कुमार छापरवाल व्याख्याता, रा0उ0मा0वि0 उदलियास, भीलवाड़ा मोबाईल 92149 15016
2.	श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, रजिस्ट्रार, बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर मोबाईल 97993 40000	जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था की पूर्ण निगरानी, धारा 144 निषेधाज्ञा की पालना सुनिश्चित करवाना, लॉक डाउन की पालना करवाना एवं निर्देशानुसार अन्य कार्य	श्री विनोद कुमार पारीक, व्याख्याता, रा0उ0मा0वि0 उदलियास, भीलवाड़ा मोबाईल 98871 02948
3.	श्री कमलेश आबुसरिया, शासन उप सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर मोबाईल 94143 67912, 76655 01144	जिला कार्यालय मे स्थापित वॉर रूम समस्त कार्यवाही अपने पर्यवेक्षण में समय पर पूर्ण करवाना एवं निर्देशानुसार अन्य कार्य	श्री जगदीश चन्द्र काबरा, व्याख्याता, रा0उ0मा0वि0 बागोर भीलवाड़ा मोबाईल94132 71422
4.	श्री अर्जुन राम चौधरी, अति० निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर मोबाईल 94141 32916	क्वार्टरटाईन वार्ड - भीलवाड़ा होटल ग्लोरिया इन, मंगरोप रोड़ श्रीलोक रिसोर्ट, मंगरोप रोड़ दू पाम रिसोर्ट, मंगरोप रोड़ नन्दिनी रिसोर्ट, हरणी महादेव रोड़ पलोरा पार्क, दादीधाम, शास्त्रीनगर होटल रेडियन्स, चित्तौड़गढ़ रोड़ आशिका रिसोर्ट, चित्तौड़गढ़ रोड़ अलास्का रिसोर्ट, आटूण, भीलवाड़ा महाप्रज्ञ भवन, आजादनगर	श्री मुकेश कुमार दीक्षित, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, वृत्त-सी भीलवाड़ा मोबाईल 98870 64741

5. श्री राज नारायण शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर मोबाईल 94940 93607, 94145 84145	क्वारंटाईन वार्ड - भीलवाड़ा	श्री कुलभान सिंह, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन भीलवाड़ा मोबाईल 94130 23979
	यश विहार, कोटा रोड़	
	गुलाब बाग, कुवाड़ा रोड़	
	उत्सव रिसोर्ट, सांगानेर रोड़	
	सोना रिसोर्ट, सांगानेर रोड़	
	अग्रवाल भवन, रिंग रोड़	
	विद्यासागर वाटिका, रिंग रोड़	
	अमित पैलेस, सुखाडिया सर्कल	
	होटल रॉयल एम्बेसी, सर्किट हाउस के पास	
	होटल लैण्डमार्क, सर्किट हाउस के पास	
होटल रणबंका, गांधीनगर		

भोजन, आवश्यक वस्तुएं/सामग्री, सब्जी एवं फूट के प्रभारी अधिकारी कमशः जिला रसद अधिकारी (मोबाईल-94140 88531), महा-प्रबन्धक उपभोक्ता भण्डार (मोबाईल-96190 51507), सचिव कृषि उपज मण्डी (मोबाईल-99827 93555) हैं।

जिले में कानून एवं शांति व्यवस्था के प्रभारी अधिकारी अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (शहर), भीलवाड़ा (मोबाईल - 99506 58669) हैं।

वार रूम के प्रभारी अधिकारी अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, (शहर), भीलवाड़ा (मोबाईल - 99506 58669) हैं। वार रूम जिला कार्यालय के कमरा नं० 03 में संचालित हैं। वार रूम के दूरभाष नम्बर 01482-232607 हैं।


क्वारंटाईन (संगरोध) वार्ड के All Over Incharge मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा (मोबाईल - 94142 22165) तथा Assitant All Over Incharge श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा (मोबाईल - 75030 63728) हैं।

क्वारंटाईन (संगरोध) वार्डों के पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी क्वारंटाईन (संगरोध) वार्ड में भर्ती मरीजों के रहने, भोजन सहित समस्त आवश्यक सुविधाएं एवं चिकित्सा संबंधी व्यवस्थाओं को समय पर करवाया जाना सुनिश्चित कराएंगे। उक्त अधिकारीगण का कार्य मुख्यालय संबंधित क्वारंटाईन (संगरोध) वार्ड होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भीलवाड़ा से समन्वय कर निर्देशानुसार अपेक्षित समस्त कार्यवाही तत्काल किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के संबंध में पूर्ण सावधानी बरती जावे। राज्य सरकार, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा जिला कार्यालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों एवं मेडिकल प्रोटोकॉल का पूर्ण पालन किया जावे। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा उक्तानुसार अधिकारीगण एवं सहायक को संक्रमण से बचाव के संबंध में समुचित प्रशिक्षण देगे तथा मास्क एवं सेनेजाईटर उपलब्ध कराएंगे।


नियुक्त अधिकारीगण को पत्राचार एवं आदेश Whats App ग्रुप Bhilwara Fight के जरिये भिजवाये जाएंगे।

आदेश की अक्षरशः पालना सभी संबंधित द्वारा की जावे।

  
(राजेन्द्र भट्ट)  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि - निम्न को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं -

1. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
2. अति० मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान, जयपुर
3. अति० मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान, जयपुर
4. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक (क-4) विभाग, राजस्थान, जयपुर
5. संभागीय आयुक्त, अजमेर
6. उप महानिरीक्षक, अजमेर रेंज, अजमेर
7. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाड़ा
8. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन), भीलवाड़ा
9. अति० जिला कलक्टर एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट (शहर), भीलवाड़ा
10. प्रभारी अधिकारी, स्थापना अनुभाग, भीलवाड़ा
11. प्रभारी अधिकारी, पूल अनुभाग, भीलवाड़ा को भेजकर लेख हैं कि उपर्युक्तानुसार अधिकारियों को तत्काल एक-एक वाहन (जीप) उपलब्ध करावे।
12. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा All Over Incharge
13. अति० मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाड़ा
14. श्री प्रकाश चन्द्र शर्मा, निदेशक, पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, जयपुर, हाल भीलवाड़ा
15. श्री अर्जुन राम चौधरी, अति० निदेशक, इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान, जयपुर हाल भीलवाड़ा
16. श्री राज नारायण शर्मा, रजिस्ट्रार डॉ० भीमराव अम्बेडकर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर हाल भीलवाड़ा
17. श्री हेमन्त स्वरूप माथुर, रजिस्ट्रार, बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर हाल भीलवाड़ा
18. श्री कमलेश आबुसरिया, शासन उप सचिव, राजस्व विभाग, जयपुर हाल भीलवाड़ा
19. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
20. श्री राजेश सुवालका, सहायक कलक्टर जिला भीलवाड़ा
21. प्राचार्य, राजमाता विजयाराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज, भीलवाड़ा
22. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाड़ा
23. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, महात्मा गांधी चिकित्सालय, भीलवाड़ा
24. महा-प्रबन्धक उपभोक्ता भण्डार, भीलवाड़ा
25. सचिव कृषि उपज मण्डी, भीलवाड़ा
26. उपायुक्त प्रशासन, वाणिज्य कर विभाग, भीलवाड़ा को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों को तत्काल संबंधित राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को उपस्थिति देने हेतु पाबन्द करावे।
27. लेखाधिकारी, जिला कार्यालय भीलवाड़ा को उपर्युक्त राजस्थान प्रशासनिक सेवा के उपर्युक्त अधिकारियों के आवास एवं अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराने हेतु।
28. समस्त जिला स्तरीय अधिकारी, जिला भीलवाड़ा
29. समस्त तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, जिला भीलवाड़ा
30. समस्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, जिला भीलवाड़ा
31. समस्त अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, जिला भीलवाड़ा
32. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, भीलवाड़ा
33. सर्व संबंधित सहायक अधिकारी द्वारा उपायुक्त प्रशासन, वाणिज्य कर विभाग, भीलवाड़ा
34. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

  
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,  
भीलवाड़ा